संख्या- 2 /2026/ए029-20252026-001-694(1667879)

प्रेषक,

अवनीन्द्र कुमार,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

खाद्य एवं रसद विभाग,

जवाहर भवन लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 17 फरवरी, 2026

विषय :-खाद्य एवं रसद विभाग के लिए 01 नये वाहन क्रय किये जाने हेतु वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- ले0शा0/1541/ई-153261-नये वाहन/2025-26, दिनांक 16.12.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग के अपर जिलाधिकारी (ना0आ0), वाराणसी के निष्प्रयोज्य सरकारी वाहन के स्थान पर 01 Bolero Neo क्रय किये जाने हेतु वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया था।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2025-26 में लेखाशीर्षक-4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यालय उपयोगार्थ वाहनों का क्रय के मानक मद संख्या 14-मोटर गाड़ियों का क्रय की मद से खाद्य एवं रसद विभाग के अपर जिलाधिकारी (ना0आ0), वाराणसी के निष्प्रयोज्य सरकारी वाहन के स्थान पर 01 Bolero Neo क्रय किये जाने हेतु अवशेष धनराशि से **रू0 8,79,055.00 (रू0 आठ लाख उन्यासी हजार पचपन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय** स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग प्रश्नगत वाहनों के उपयोग के लिये अधिकृत अधिकारी की अपरिहार्य आवश्यकता एवं उपलब्ध वाहन के संचालन में अपरिहार्य /न्यूनतम व्यय के संबंध में स्वयं सुनिश्चित हो लेंगे।

(2) आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा क्रय किये जाने वाले वाहन जिस अधिकारी के साथ संबद्ध किये जाने हैं, उनकी वाहन उपयोग की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।

(3) आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध शासनादेशों / नियमों / विनियमों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(7) आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग जेम (GEM) की दरों की अनुमन्यता एवं वैधता अपने स्तर पर सुनिश्चित करेगें ।

(8) आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा कराये जाने की सूचना के सम्बन्ध में स्वस्तर से सुनिश्चित हो लेंगे ।

(9) जेम पोर्टल पर दरों में परिवर्तन होता रहता है। क्रय के समय जेम पोर्टल पर उपलब्ध दर के अनुसार वित्तीय सीमा के अन्तर्गत व्यय किया जायेगा। आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-58/ 2023/1621/18-2-2023/18-2099/372/2023-125(ल0उ0)/2014, दिनांक 21.12.2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार अनुमन्य वित्तीय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय लेखाशीर्षक-4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यालय उपयोगार्थ वाहनों का क्रय के मानक मद संख्या 14-मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7 के अ0शा0 संख्या-ई-7-179-दस-2025-26- दिनांक 16-02-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

अवनीन्द्र कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक उपरोक्त</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी लेखा, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

अवनीन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in